निर्णय ब इजलास कुन्तल विश्नोई आर.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय), जयपुर

प्रकरण संख्या 6/2024 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

बाबूलाल यादव निवासी राजा पान भण्डार हलवाई बाजार, फुलेरा जिला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय **दिनांक 27/11/2024**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि बाबूलाल यादव द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 10.09.2024 को राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जिला जयपुर के नाम आवेदन मय शुल्क प्रेषित कर ग्राम पंचात ईटावा, पंचायत तेज्या का बास तहसील फुलेरा के खसरा नं0 308/1, 309/1, 310, 311/1 तथा 314/1 में से आम/सार्वजनिक रास्ते काटे जाने हेतु जारी किये गये आदेश के सन्दर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं चाही गयी–

   (अ) ग्राम इटावा, पंचायत तेज्या का बास के खसरा नं0 308/1, 309/1, 310, 311/1 तथा 314/1 आम रास्ता काटे जाने हेतु जारी किये गये आदेश प्रमाणि प्रति।

   (ब) बिन्दु संख्या 'अ' में उल्लेखित आदेश सरकार के जिस परिपत्र/आदेश/निर्देश के क्रम में जारी किया गया उसकी प्रमणित प्रति (सरकार ओदश/निर्देश/परिपत्र की प्रति)

   (स) आम रास्ता काटे जाने से पूर्व श्री तहसीलदार, गिरदावर जी तथा पटवी जी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट तथा पी 31 की प्रमाणित प्रति।

   (द) समस्त खसरा नं0 308/1, 309/1, 310, 311/1 तथा 314/1 के खातेदारों से सादा कागज तथा स्टाम्प पर प्राप्त की गई सहमति की प्रमाणित प्रतियां।

   (य) समस्त सम्बन्धित खातेदारों (खसरा नं0 308/1, 309/1, 310, 311/1 तथा 314/1) को उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट तथा अन्य समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां जिसमें खातेदारों के हस्ताक्षर भी हो।

   (र) श्रीमान तहसीलदार द्वारा समस्त दस्तावेज उपखण्ड कार्यालय में जिस पत्र के साथ भेजे गये उस पत्र की प्रमाणित प्रति।

   (ल) जिस पत्रावली पर रास्ता काटे जाने का निर्णय लिया गया उस पत्रावली की सम्बन्धित नोटशीट की प्रमाणित प्रतियां।

   (व) प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पूर्ण पता।

   (श) इस आदेश से सम्बन्धित अन्य समस्त दस्तावेज व रिपोर्ट की प्रतियां जिनका उपर उल्लेख नहीं किया गया हो किन्तु संलग्न है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 20.11.2024 को संबधित राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित है।

3. हमने प्रार्थी के सूचना के अधिकार के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा जिसमें चाही गई

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

बिन्दूवार सूचना दस्तावेजी सूचना चाहने हेतु अंकित किया गया है तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 21.11.2024 को प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2024/2257 दिनांक 21.11.2024 द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी। परन्तु भेजी गई सूचना के अवलोकन से जाहिर है कि चाही गई सूचना प्रथम अपील पेश करने के बाद दी गई है। अतः अपील का निस्तारण उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि उक्त प्रकरण में यदि कोई सूचना दिये जाने से शेष है तो तत्काल उपलब्ध करावें तथा भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में निर्दिष्ट नियमों में निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध कराई जावे।

4. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
5. निर्णय आज दिनांक 27/11/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
अपीलीय अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर